राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
बैंक ऑफ इंडिया, भवन तृतीय तल,
अरेरा हिल्स भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/ शिशु स्वास्थ्य–पोषण/एन.एच.एम/ 2014 /9808 भोपाल, दिनांक : 18/11/

प्रति,

1. **समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश**
2. **समस्त नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव नोडल अधिकारी मध्यप्रदेश।**

विषय :– **नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम (NIPI) हेतु प्रतिकूल घटनाओं पर प्रतिकिया प्रणाली के संबंध में निर्देश।**

*****

विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश में एनीमिया अथवा खून की कमी एक वृहद जन स्वास्थ्य समस्या है। यह कमी न केवल 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों में पाई जाती है, अपितु 5 से 10 वर्षीय बच्चों, 10 से 19 वर्षीय किशोरवय बालक–बालिकाओं, गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा 20 से 49 वर्षीय प्रजननकालिक महिलाओं में भी व्याप्त है। भारत सरकार द्वारा नवीन नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम के अंतर्गत जीवन चक्र आधारित रणनीति अपनाते हुए 6 माह से 60 माह के बच्चे, 6 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चे, 10 से 19 वर्ष के किशोरवय बालक एवं बालिकाऐं, (पूर्ववर्ती WIFS कार्यक्रम), गर्भवती एवं धात्री माताऐं, 20 से 45 वर्षीय प्रजननकालिक महिलाओं में आयरन अनुपूरण का लक्ष्य रखा गया है। NIPI कार्यक्रम का संचालन स्वास्थ्य विभाग द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवायें, स्कूल शिक्षा विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के समन्वय से किया जाना है।

यह निर्देशिका बुनियादी तौर पर सामुहिक औषधि प्रदायगी (MDA) के दौरान सावधानी तथा सुरक्षा हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के मार्गदर्शी सिद्धातों पर आधारित है। प्रतिकूल घटनाओं पर प्रतिकिया प्रणाली का उद्देश्य नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम से जुड़े हितग्राही समूह तथा मैदानी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा एवं सुलभ संदर्भ के लिए है। यद्यपि बड़े पैमाने पर आयोजित सामूहिक औषधि प्रदायगी संबंधी कार्यक्रमों में प्रतिकूल घटनायें कभी–कभार ही होती हैं, परन्तु किसी भी अप्रिय/प्रतिकूल घटना के लिए व्यवस्था की निगरानी एवं हितग्राहियों की सुरक्षा के लिए समस्त उत्तरदायी लोगो को तैयार होना चाहिए।

निर्देशित किया जाता है कि:–

- संलग्न नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम हेतु निर्मित प्रतिकूल घटनाओं पर प्रतिकिया प्रणाली (Adverse Event Management Protocol) का विस्तृत अध्ययन कर मैदानी अनुकरण एवं आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करें।
- समस्त आशा तथा आउटरीच ए.एन.एम. को उपरोक्तानुसार मासिक बैठक में उन्मुख करें।
- अल्पतीव्र/गंभीर प्रतिकूल लक्षण के प्रबंधन हेतु चिकित्सा सामग्री की व्यवस्था ग्राम आरोग्य केन्द्रों पर रहे।
- आर.बी.एस.के. के समस्त दल को भी नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम हेतु निर्मित प्रतिकूल घटनाओं पर प्रतिकिया प्रणाली (Adverse Event Management Protocol) के संबंध में समझाइश दी जाए।
- जिले के सभी निर्दिष्ट शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं में आपातकालीन व्यवस्था हेतु हेल्पलाईन नम्बर उपलब्ध करायें।
- किसी भी आपातकालीन स्थिति की रिपोर्ट मिलने पर नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम हेतु निर्मित प्रतिकूल घटनाओं पर प्रतिकिया प्रणाली (Adverse Event Management Protocol) का पालन सुनिश्चित करें।

(फैज़ अहमद किदवई)
मिशन संचालक,
एन.एच.एम., मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य–पोषण/एन.एच.एम /2014/ 9809 भोपाल, दिनांकः 18/4/14

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र/लोक शिक्षा संचालनालय, गौतम नगर, भोपाल।
4. आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवायें, वात्सल्य भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
6. समस्त, कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
7. श्रीमती रितु घोष, राज्य कार्यक्रम प्रतिनिधि, एम.आई मध्यप्रदेश।
8. सुश्री अपर्णा मुंशी, पोषण अधिकारी, यूनीसेफ, भोपाल म.प्र.।
9. सुश्री नेहा यादव, राज्य कार्यक्रम अधिकारी, डीवर्म द वर्ल्ड इनिशिएटिव, ई.–6/23, अरेरा कालोनी, भोपाल मध्यप्रदेश।
10. समस्त, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
11. समस्त, जिला पोषण सलाहकार, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश

मिशन संचालक,
एन.एच.एम.,मध्यप्रदेश